न्यायालय जिला कलेक्टर,जालोर

पीठासीन अधिकारी — श्री महेन्द्र सोनी
आई.ए.एस

सायल — बनाम — गैरसायल

राजस्थान सरकार जरिये जितेन्द्रसिह आशियां प्रवर्तन निरीक्षक सांचौर — श्री बाबुलाल पुत्र जैरूपाजी निरस्त उचित मूल्य दुकानदार आकोली तह. चितलवाना

प्रकरण संख्या — 16/2018

इस्तगासा अर्न्तगत धारा 6(ए) आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955

.....

पक्षकारान के अधिवक्तागण:-
1-श्री पुष्पराज पालीवाल प्रवर्तन अधिकारी जालोर
2-श्री अनिल कुमार गैर सायल के वकील

निर्णय

दिनांक:-25.01.2019

1. सायल ने यह इस्तगासा सरकार की ओर से प्रस्तुत कर गैर सायल से आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए के अंतर्गत अभिग्रहण शुदा 205 कट्टे (139 कट्टे मशीन सिलाई एवं 66 कट्टे हाथ सिलाई) जिनमें गेंहू का वजन 100 क्विं. 88 किग्रा 375 ग्राम गेंहू ठीक है, को राजसात कराने का निवेदन किया।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैर सायल को इस्तगासे की प्रति भेजते हुये नोटिस जारी किया गया। गैर सायल की ओर से उनके वकील उपस्थित हुये। लेकिन गैर सायल के अभिभाषक जवाब पेश नहीं करने के कारण गैर सायल का जवाब बंद किया गया। बर वक्त बहस गैर सायल के वकील अनुपस्थित बाद में नो इन्सट्रक्शन प्लीड किया। प्रकरण में एक तरफा बहस सुनी गई।

3. प्रर्वतन अधिकारी,जालोर ने अपनी बहस में तर्क दिया कि जिला रसद अधिकारी जालोर के आदेश दिनांक 20.07.2018 पालना में निरस्त उचित मूल्य दुकानदार श्री बाबुलाल के प्रार्थना पत्र पर गेंहू के भौतिक सत्यापन हेतुरूबरू उपस्थित मौतबिरान,श्री बाबुलाल एवं श्री रमेश कुमार, व्यवस्थापक करावडी ग्राम सेवा सहकारी समिति करावडी के श्री बाबुलाल द्वारा बतायी गई दुकान में पडे गेंहू के कट्टों का भौतिक सत्यापन कर फर्द तलपटी के माध्यम से एक-एक कट्टे को तुलवाकर वजन करवाया गया। जिसमें उक्त दुकान में निम्न प्रकार गेंहू के कट्टे पाये गये।

- **मशीन सिलाई के कट्टे**

कट्टे का प्रकार	कट्टों की संख्या	वजन मय बारदाना	गेंहू का शुद्ध वजन (बारदाना का वजन घटाकर)
प्लास्टिक के कट्टे (बारदाना वजन 135 ग्राम)	138	6931 किग्रा 700 ग्राम	6913 किग्रा 070 ग्राम
जूट के कट्टे (बारदाना वजन 580 ग्राम)	1	50 किग्रा 200 ग्राम	49 किग्रा 620 ग्राम
कुल	**139**	**6981 किग्रा 900 ग्राम**	**6962 किग्रा 690 ग्राम**

- **हाथ सिलाई के कट्टे**

कट्टे का प्रकार	कट्टों की संख्या	वजन मय बारदाना	गेंहू का शुद्ध वजन (बारदाना का वजन घटाकर)
प्लास्टिक के कट्टे(बारदाना वजन 135 ग्राम)	37	1686 किग्रा 200 ग्राम	1681 किग्रा 205 ग्राम
जूट के कट्टे (बारदाना वजन 580 ग्राम)	29	1461 किग्रा 300 ग्राम	1444 किग्रा 480 ग्राम
कुल	**66**	**3147 किग्रा 500 ग्राम**	**3125 किग्रा 685 ग्राम**

- **खराब गेंहू के कट्टे**

कट्टे का प्रकार	कट्टों की संख्या	वजन मय बारदाना	गेंहू का शुद्ध वजन(बारदानो का वजन घटाकर)
प्लास्टिक के कट्टे(बारदाना वजन 135 ग्राम)	30	803 किग्रा 200 ग्राम	799 किग्रा 150 ग्राम
जूट के कट्टे (बारदाना वजन 580 ग्राम)	3	153 किग्रा 00 ग्राम	151 किग्रा 260 ग्राम
कुल	**33**	**956 किग्रा 200 ग्राम**	**950 किग्रा 410 ग्राम**

गैर सायल से अभिग्रहित किये गये कुल 238 कट्टों में गेंहू का कुल वजन 110 क्विं. 38 किग्रा 785 ग्राम था। जिसमें से 9 क्विं. 50 किग्रा 410 ग्राम गेंहू खाने योग्य नहीं पाये गये तथा कुल 100 क्विं. 88 किग्रा 375 ग्राम गेंहू ही ठीक पाये गये।इसप्रकार श्रीबाबुलाल उचित मूल्य दुकानदार आकोली द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की रूबरू मौतबिरान एवं

सरकार बनाम बाबूलाल ईसी एक्ट प्रकरण संख्या 16/2018

बाबुलाल के जांच करने पर यह पाया गया कि उसके पास कुछ गेंहू पडे थे जो वितरण नहीं करने से खराब हो गये तथा जांच एवं F.I.R.दर्ज होने के बाद उनके द्वारा कहीं से गेंहू लाकर दुकान में रखवाये गये है।क्योंकि भारतीय खाद्य निगम मशीन सिलाई के गेंहू ही जारी करती है। जबकि बाबुलाल की दुकान में हाथ सिलाई के 66 कट्टे व मध्यप्रदेश सिविल सप्लाई कॉर्पोरेशन की सिलाई व ठप्पे के 100 प्लास्टिक कट्टे भी पाये गये है,जो एफसीआई द्वारा जारी नहीं होते है।एफसीआई जालोर से दूरभाष से जानकारी लेने पर इस तरह के कट्टे जारी नहीं होना बताया। इस प्रकार गैर सायल द्वारा निम्न अनियमितताये करना पाया गया। गैर सायल के बकाया गेंहू 119 क्विं. 2 किलोग्राम गेंहू है जबकि मौके पर गोदाम में वितरण योग्य 100 क्विं. 88 किग्रा गेंहू ही पाये गये जो 18 क्विं. 14 किग्रा कम है। मध्प्रदेश सिविल सप्लाई कॉर्पोरेशन की सिलाई व ठप्पे के 100 प्लास्टिक के कट्टे पाये गये जिनका मय बारदाना वजन 4869 किग्रा 600 ग्राम था। जो एफसीआई जालोर द्वारा जारी नहीं होते है। गैर सायल द्वारा जिला रसद कार्यालय से बार-बार सूचित करने के बावजूद वैकल्पिक व्यवस्था वाले उचित मूल्य दुकानदार को गेंहू एवं पोश मशीन सुपूर्द नहीं की गयी एवं ना ही विभाग को सूचित किया गया। गैर सायल द्वारा उक्त गेंहू को खुर्द-बुर्द कर दिया गया था तथा पुलिस कार्यवाही होने पर बाद में कहीं से गेंहु लाकर दुकान में रखवाया गया है।

इस प्रकार गैर सायल द्वारा राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनिमय) आदेश 1976 के प्रावधानों का उल्लंघन पाये जाने से उक्त 238 कट्टे गेंहू मय बारदानों के श्री बाबुलाल के कब्जे से मन प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा अभिग्रहण किया गया तथा साक्षी एवं सुरक्षित रखने हेतु श्री रमेश कुमार व्यवस्थापक, करावटी ग्राम सेवा सहकारी समिति को मौके पर ही सुपूर्द किये गये।

अत: आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए के अंतर्गत अभिग्रहण शुदा कुल 238 कट्टे जिनका गेंहू का कुल वजन 110 क्विं. 38 किग्रा 785 ग्राम है। इनमें से 205 कट्टे (139 कट्टे मशीन सिलाई एवं 66 कट्टे हाथ सिलाई) जिनमें गेंहू का वजन 100 क्विं. 88 किग्रा 375 ग्राम गेंहू ठीक है, का गैर सायल श्री बाबुलाल द्वारा राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनिमय) आदेश 1976 के प्रावधानों का उल्लंघन करने से जो आवश्यक वस्तु अधिनियम1955 के तहत दण्डनीय अपराध होने से अभिग्रहित किया गया था, को राजसात करावें।

4. मेरे द्वारा बहस पर मनन किया गया व अभिलेख का अवलोकन किया गया।गैर सायल द्वारा उचित मूल्य के गेहूँ का वितरण नही करने से उसके विरूद्व एफ आई आर दर्ज होने के बाद अन्य गेहूँ को स्टोक में लाकर गेहूँ वितरण व्यवस्था को दुरस्त होना बताने की अनुचित चेष्टा की है।इस प्रकार प्रस्तुत प्रकरण में आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए के अंतर्गत अभिग्रहण शुदा कुल 238 कट्टे जिनका गेंहू का कुल वजन 110 क्विं. 38 किग्रा 785 ग्राम है। इनमें से 205 कट्टे (139 कट्टे मशीन सिलाई एवं 66 कट्टे हाथ सिलाई) जिनमें गेंहू का वजन 100 क्विं. 88 किग्रा 375 ग्राम गेंहू ठीक है, का श्री बाबुलाल द्वारा राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनिमय) आदेश 1976 के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन किया गया है।यह कृत्य आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है।

अत: सायल का यह प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम को स्वीकार किया जाता है तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए के अंतर्गत अभिग्रहण शुदा कुल 238 कट्टे जिनका गेंहू का कुल वजन 110 क्विं. 38 किग्रा 785 ग्राम है। इनमें से 205 कट्टे (139 कट्टे मशीन सिलाई एवं 66 कट्टे हाथ सिलाई) जिनमें गेंहू का वजन 100 क्विं. 88 किग्रा 375 ग्राम गेंहू ठीक है, को राजसात (Confiscate) किया जाता है।

प्रकरण में जिला रसद अधिकारी को अभिग्रहित शुदा गेहूं को निस्तारण करने के आदेश प्रदान किये गये थे लेकिन उनके द्वारा उक्त गेहूं का निस्तारण नहीं किया गया है। अत: जिला रसद अधिकारी जालोर को निर्देश दिये जाते हैं कि उक्त अभ्रिग्रहित गेहूं का निस्तारण कर उनसे प्राप्त राशि राजकोष में निर्धारित मद में जमा करवाने की व्यवस्था कर इस न्यायालय को सूचित करे।

(महेन्द्र सोनी)
जिला कलेक्टर
जालोर

निर्णय को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(महेन्द्र सोनी)
जिला कलेक्टर
जालोर

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahendra Soni
Date: 2019.12.12 18:20:59 IST
Reason: SelfAttested
Location: